न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर (राज0)

अपील संख्या	रजि0 न0	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
13/02/2013	13/00186	02.08.2013	15.01.2025

1. ग्रामवासीयान बडीका जरिये राजवीर पुत्र प्रसाद जाति जाट निवासी बडीका तहसील कठूमर जिला अलवर राज0।
2. सोहनसिंह पुत्र जगनी जाति जाट निवासी बडीका तहसील कठूमर जिला अलवर, बहैसियतखुद एवं बहैसियत ग्राम जनता बडीका तहसील कठूमर जिला अलवर राज0।

—निगरानीकार

बनाम

1. ग्राम पंचायत ईसरोता तहसील कठूमर जिला अलवर राज0।
2. हुकमी पुत्र शिम्भू जाति जाट निवासी बडीका तहसील कठूमर जिला अलवर।

— गैरनिगरानीकार

निगरानी अन्तगर्त धारा 97 (1) राज० पंचायती राज० अधिनियम 1994 विरूध बर खिलाफ आज्ञा ग्राम पंचायत ईसरोता पं.स. कठूमर निर्णय दिनाक 20.01.2007 गैर नि० 2 को गैरकानूनी रूप से पट्टा जारी किया गया, को निरस्त करने बाबत।

उपस्थितः—

01. श्री मूलचन्द चौधरी —वकील निगरानीकार
02. श्री ओमवीर सिंह —वकील गैरनिगरानीकार सं. 1
03. श्री राजवीर सिंह चौधरी —वकील गैरनिगरानीकार सं. 2

:: निर्णय ::—

निगरानी अन्तगर्त धारा 97 (1) राज० पंचायती राज० अधिनियम 1994 विरूद्ध आज्ञा ग्राम पंचायत ईसरोता पं.स. कठूमर निर्णय दिनाक 20.01.2007 से व्यथित होकर यह निगरानी पेश की जा रही है। निगरानी हाज़ा के निस्तारण हेतु प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि निगरानीकार ग्राम बडीका तहसील कठूमर के निवासी हैं, जिन्हें ग्रामवायीयान ग्राम बडीका ने अपील पेश करने के लिए अधिकृत किया है। इस वजह से अपील निगरानीकार की ओर से बहैसियत खुद एवं बहैसियत प्रतिनिधि ग्राम जनता बड़ीका की ओर से पेश की जा रही है। निगरानीकार व अनिगरानीकार ग्राम बडीका तह0 कठूमर जिला अलवर के निवासी हैं। अनिगरानीकार सं0 1 द्वारा अनिगरानीकार सं0 2 के हक में एक रिहाईस हेतु पट्टा दिनांक 20.01.2007 को जारी किया गया, जो पट्टा खिलाफ मौका व कानून जारी किया गया है। अनिगरानीकार सं0 1 ने पट्टा किस भूमि पर जारी किया है, पट्टे में अंकित नहीं है तथा ना ही पट्टे में भूमि की किस्म अंकित है। इस वजह से पट्टा निरस्त किये जाने योग्य है। पट्टा में जो नपत लिखी गयी है, के मुताबिक पट्टे की नपत पोखर गै0मु0 ख0नं0 77 वाके ग्राम बडीका की भूमि में कवर हो रही है। जिस नपत के तहत अनिगरानीकार सं0 2 पोखर में भरत कर निर्माण करने पर तुला है, जबकि सार्वजनिक पोखर में न तो ग्राम पंचायत ईसरोता को पट्टा देने का अधिकार है और ना ही अनिगरानीकार सं0 2 को पोखर की भूमि पर निर्माण करने का अधिकार है। पोखर की भूमि पर किसी को पट्टा देना आवंटन करना प्रतिबंधित है।

पट्टा जो अनिगरानीकार सं0 1 ने अनिगरानीकार सं0 2 को जारी किया है, के अनुसार अनिगरानीकार सं0 2 गैर मुमकिन पोखर खसरा नंबर 77 वाके ग्राम बडीका पर निर्माण हेतु भरत करने लगा तो ग्रामवासीयान को मालूम होने पर ग्रामवासीयान ने अनिगरानीकार सं0 2 से गै0मु0 पोखर पर निर्माण करने व भरत करने से मना किया तो अनिगरानीकार सं0 2 ने गलत तथ्यों के आधार पर एक सिविल वाद सिविल अदालत में पेश कर दिया। तब हम निगरानीकार को उक्त पट्टे की जानकारी हुई, इससे पूर्व उक्त पट्टे की जानकारी हम ग्रामवासीयान को नहीं हुई। हम निगरानीकार ने ग्राम सचिव से पट्टे की नकल प्राप्त करने हेतु दिनांक 01.06.13 को आवेदन किया तथा दि0 18.06.13 को नकल प्राप्त की तथा तहसीलदार कठूमर को अतिक्रमण हटाने हेतु दर0 दि0 27.05.13 को पेश की। जिस पर तहसीलदार कठूमर ने हल्का पटवारी को मौके पर भेजकर रिपोर्ट तलब करवाई, जिस रिपोर्ट दि0 30.05.13 में पटवारी हल्का द्वारा बताया

अति० जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज0)

कि पट्टे के आधार पर पैमाइश करने पर 25 फुट चौडाई में सार्वजनिक पोखर वाके ग्राम बडीका में अतिक्रमण पाया गया है तथा भरत 25 फुट पोखर में करना पाया गया है, जो कानूनन गलत है। पट्टा दिनांक 20.01.2007 खिलाफ कानून व खिलाफ मौका अनिगरानीकार सं0 1 ने अनिगरानीकार सं0 2 को उसे फायदा पहुंचाने के लिये गै0मु0 पोखर की भूमि पर जारी किया है जिसके आधार पर पोखर की भूमि पर अतिक्रमण किया जा रहा है। यदि पट्टे के आधार पर अनिगरानीकार सं0 2 ने गै0मु0 पोखर की भूमि पर अतिक्रमण कर लिया तो पोखर में पानी भराव का क्षेत्रफल कम हो जावेगा। इस पोखर में पानी भराव कम होगा, जिससे ग्रामवासीयान के पशुधन को पीने का पानी उपलब्ध नहीं होगा। पशुधन बिना पानी के प्यासे मर जावेंगे। इस पोखर में पानी भरने से आस–पास के जल स्त्रोतों में पानी उच्च स्तर पर रहता है लेकिन पानी भराव कम होने से आस पास के जल स्त्रोत सूख जावेंगे, जिससे ग्रामवासीयान को भी पीने का पानी उपलब्ध नहीं होगा। जिससे हम ग्रामवासीयान को अपार हानि होगी, असुविधा होगी, जिसकी पूर्ति किसी भी तरह संभव नहीं है। इस वजह से पट्टा दिनांक 20.01.07 जो अनिगरानीकार सं0 2 को गैर कानूनी रूप से प्रतिबंधित भूमि पर पट्टा जारी किया है।

पट्टा दिनांक 20.01.07 को जारी किया गया है जिसकी सर्वप्रथम जानकारी दि0 25.05.13 को हुई है। जब अनिगरानीकार सं0 1 द्वारा सिविल कोर्ट में पेश किये गये दावे में उपस्थित हुए व दावे की नकल प्राप्त हुई। इससे पूर्व किसी तरह से जानकारी नहीं हो पाई जिस देरी को कण्डोन किये जाने व अपील को अन्दर अवधि शुमार होतु अलग से प्रार्थना–पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम पेश किया जा रहा है। वकील निगरानीकार द्वारा निगरानीकार का निगरानी प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने एवं आदेश दिनांक 20.01.07 ग्राम पंचायत ईसरोता पंचायत समिति कठूमर द्वारा अनिगरानीकार सं0 2 को जारी पट्टा निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

निगरानी दर्ज रजिस्टर की जाकर अनिगरानीकार को जरिये नोटिस तलब किया गया। अनिगरानीकार की विधिवत तामील होकर पत्रावली में संलग्न है। गैर निगरानीकार बाबजूद विधिवत तामील अनुपस्थित।

वकील निगरानीकार की एक पक्षीय बहस सुनी गई। वकील निगरानीकार द्वारा कथन किया गया कि उक्त पट्टे की वर्णित आराजी गैर मुमकिन पोखर की भूमि है। पोखर की भूमि पर किसी को पट्टा देना अथवा आवंटन करना प्रतिबंधित है। पंचायती राज एक्ट के नियमों की पालना नहीं की गई है। नियमों के विरूद्ध पट्टा जारी किया गया है, आवंटन आदेश दिनांक 20.01.07 खारिज किया जावे। बहस पूर्ण।

पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन व अध्ययन किया गया। वकील निगरानीकार की बहस पर मनन किया गया। ग्राम पंचायत ईसरोता द्वारा जारी पट्टे का अवलोकन किया गया। पत्रावली में संलग्न जमाबंदी संवत 2068–2071 आ0 ख0 नंबर 77 रकबा 0.20 है0 किस्म भूमि गैर मुमकिन पोखर दर्ज रिकॉर्ड है। पटवारी हल्का ईसरोता की मौका रिपोर्ट अनुसार विवादित आराजी खसरा नंबर 77 रकबा 0.20 है0 किस्म गैर मुमकिन पोखर पर ग्राम बडीका के ग्रामवासीयान द्वारा अवैध रूप से कब्जा किया हुआ है तथा सभी अतिक्रमी गैर मुमकिन पोखर के आस–पास बसे हुए हैं। मुताबिक रिपोर्ट पटवारी हल्का ईसरोता ग्राम पंचायत द्वारा जारी पट्टा मौके के अनुसार सही नहीं है, इसमें गैर मु0 पोखर का भाग शामिल है। ग्रा.पं. ईसरोता द्वारा जारी पट्टा गैर मुमकिन पोखर की राजकीय आराजी पर विधिविरूद्ध जारी किया गया है तथा पंचायतीराज अधिनियम के नियम 157 के अनुसार नियमों का भी उल्लंघन पाया है। प्रथम दृष्टया ही निगरानी स्वीकार योग्य पाई जाती है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर निगरानीकार का निगरानी प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है। अनिगरानीकार संख्या 01 (ग्राम पंचायत ईसरोता) द्वारा पारित पट्टा सं0 10 आदेश दिनांक 20.01.2007 को निरस्त किया जाता है। निर्णय की प्रमाणित प्रति तहत अदालत को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील जमा लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 15.01.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुकेश कुमार कायथवाल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)